RE. POINT OF ORDER RAISED ABOUT ARTICLES 80, 83 AND 108 OF THE CONSTITUTION - *Contd.*

श्री नरेश अग्रवालः अब की बार बहुत दिनों बाद एक प्वायंट ऑफ ऑर्डर आया है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You should quote the rule also.

श्री नरेश अग्रवालः हाँ, सर। Articles 80, 83 and 108 of the Constitution and then राज्य सभा नियमावली के नियम 187 और 189 देख लीजिए।

सर, मैं इस पीठ से यह पूछना चाहता हूँ कि कोई राजनैतिक दल या किसी राजनैतिक दल का कोई व्यक्ति अगर इस सदन की गरिमा पर चोट करे, इस सदन के औचित्य पर सवाल खड़ा करे या इस कारण इस सदन को भंग करने की बात करे कि लोक सभा की जो कार्यवाही हो रही है, उसमें बाधा डाली जा रही है और उस पर लोग लेख लिखें कि राज्य सभा का दुरुपयोग हो रहा है..।

श्री उपसभापतिः इसे कल कर लीजिए।

श्री नरेश अग्रवालः यानी हम विपक्ष के जितने लोग हैं, अगर 'हाँ' में कहें, तब तो यह दुरुपयोग नहीं है, लेकिन अगर हम अपनी सही बात कर रहे हैं और सदन में सही कार्यवाही कर रहे हैं, तब हम दुरुपयोग कर रहे हैं और चूँकि दुरुपयोग कर रहे हैं, इस मारे इस सदन को भंग कर दिया जाए। यह विनय कटियार जी का बयान है। विनय कटियार जी ने पाँच-छः दिन पहले कानपुर में बयान दिया, ...**(व्यवधान)**... इसी विषय में यह बयान दिया कि चूँकि लोक सभा में चुनी हुई सरकार है और राज्य सभा जान बूझ कर सरकार के कार्यों में बाधा डाल रही है, इस मारे राज्य सभा को भंग कर देना चाहिए।

श्रीमन्, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के एक एमएलसी हैं- हृदय नारायण दीक्षित जी। उन्होंने दैनिक जागरण में एक लेख लिखा, जो दैनिक जागरण में 3 अप्रैल, 2015 को छपा, उसे मैं टेबल कर देता हूँ, कि 'राज्य सभा का दुरुपयोग, मोदी सरकार के शासन करने के अधिकार पर राज्य सभा की अड़ंगेबाजी को अनुचित मान रहे हैं हृदयनारायण दीक्षित'। उसमें इन्होंने माँग की है कि राज्य सभा के अधिकार उसी हिसाब से काट देने चाहिए, जिस प्रकार ब्रिटिश पार्लियामेंटरी सिस्टम में वहाँ अपर हाउस का काट दिया गया।...**(व्यवधान)**... आप ज़रा राज्य सभा नियमावली का नियम 187 पढ़ लीजिए। उसमें दिया हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति किसी सदस्य के विशेषाधिकार या राज्य सभा की अवमानना करता हो, वह कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वह सदन का हो या सदन के बाहर का हो..। श्रीमन्, आप नियम 187 देख लीजिए। उसमें यह लिखा हुआ है और 'राज्य सभा' शब्द क्वोट है।

श्रीमन्, आप आर्टिकल 83 देखिए। जब संविधान बना, तो जान-बूझ कर उसमें लिखा गया कि 'राज्य् सभा कभी भंग नहीं हो सकती' और अगर लोक सभा की बहुमत वाले बिल को राज्य सभा नहीं पास करती है, तो संविधान की धारा 108 में उन्होंने इसके लिए ज्वाइंट सेशन की व्यवस्था कर दी। अगर हम राज्य सभा का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो आप संविधान की धारा 108 के अंतर्गत ज्वाइंट सेशन बुला लीजिए और आप अपना बिल पास करा लीजिए। अगर हम लोग राज्य सभा का दुरुपयोग कर रहे हों, तो आप ऐसा करके सदुपयोग कर लीजिए। ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Nareshji, no discussion on this.

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार अब्बास नक़वी): सर, मुझे एक मिनट बोलने दिया जाए। ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. You please sit down. It is a point of order. You please sit down.

श्री नरेश अग्रवाल: सर, आप मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए कि मैं क्या चाहता हूँ। ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I listened to you. I understood your point. If you think that there is a breach of privilege of the House, give a notice accordingly.

श्री नरेश अग्रवाल: सर, इस संबंध में दो चीजें हो सकती हैं। एक तो यह हो सकता है कि आप एक निन्दा प्रस्ताव रख दें। ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It is not an issue of point of order.

श्री नरेश अग्रवाल: सर, एक निन्दा का प्रस्ताव रखा जाए कि जिन्होंने राज्य सभा की अवमानना की है, उन पर निन्दा का प्रस्ताव पास हो जाए। अगर आप कहेंगे, तो हम निन्दा का प्रस्ताव रख देंगे और इसको यहां पास करा लीजिए। ऐसे तो राज्य सभा में रोज निन्दा का प्रस्ताव होता है। अभी एक रिटायर्ड जज ने गांधी जी के लिए कहा, तो राज्य सभा में उसके प्रति निन्दा का प्रस्ताव पास किया गया। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: नरेश जी, नरेश जी ...**(व्यवधान)**...

श्री नरेश अग्रवाल: सर, इस संबंध में हमारे पास दो अधिकार हैं। एक तो यह अधिकार है कि हम अवमानना का नोटिस दें, यह हम आपको लिखित रूप में दे दें। रूल 189 &187 के अंतर्गत जो प्रोसीजर है कि हम यह लिखित रूप में दें, चाहे राज्य सभा की अवमानना हो या चाहे हमारे अधिकारों की अवमानना हो। लेकिन दूसरा अधिकार यह भी है कि इस पर हम resolution भी रख सकते हैं या चेयर resolution रख दें और उस पर पूरे हाउस की consensus ले ली जाए। अगर हाउस की consensus इस पक्ष में है कि ऐसे लोगों के प्रति निन्दा का प्रस्ताव पारित किया जाए, जो राज्य सभा की अवमानना करे ...**(व्यवधान)**...

श्री मुख्तार अब्बास नक़वी: सर ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: नरेश जी, अब आप जरा सुनिए। ...**(व्यवधान)**... You have raised the issue in the form of a point of order. This is not an issue for a point of order. But this is certainly an issue which is very important. That is what I am saying. It is not a point of order issue. You raise a point of order when somebody violates a rule given in the rule book. This is a major issue, according to you. If you want to raise it, give a proper notice. You can either give a privilege notice or some other notice. Rules are there. You give a notice. We can consider this.

श्री नरेश अग्रवालः सर, आप कहें, तो हम यहीं से निन्दा का प्रस्ताव पेश कर देते हैं। ...**(व्यवधान)**... हम ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ ओरली निन्दा का प्रस्ताव पेश कर देते हैं। ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: If you want to do that, for that also you can give a notice to Mr. Chairman.

श्री मुख्तार अब्बास नक़वीः उपसभापति जी ...**(व्यवधान)**...

श्री के.सी. त्यागी (बिहार): सर ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I am not allowing. *...(Interruptions)...* I don't want a discussion on this. I want to take up the agrarian issue. I want to take up the agrarian issue.

श्री मुख्तार अब्बास नक़वीः उपसभापति जी, माननीय नरेश अग्रवाल जी ने एक महत्वपूर्ण विषय उठाया है, जिसमें कि उन्होंने सदन की गरिमा को लेकर कि सदन की गरिमा के बारे में किसी ने बाहर कोई बयान दिया। हम उससे पूरी तरह से सहमत नहीं हैं। यह सदन हो या वह सदन हो, दोनों सदनों की अपनी संवैधानिक व्यवस्था है, संवैधानिक अधिकार हैं और उन संवैधानिक व्यवस्थाओं और अधिकारों पर किसी भी तरह की कोई भी टिप्पणी अस्वीकार्य है। माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया है, हम मानते हैं कि वह उपयुक्त है, लेकिन हम उससे बिल्कुल distance भी रखते हैं और हम उसे उपयुक्त भी नहीं मानते और इस तरह के बयान को किसी तरह से न्यायोचित ठहराया नहीं जा सकता, इसलिए यह इश्यू यहीं क्लोज करना चाहिए।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No further discussion on this. Now, Mr. K.C. Tyagi will continue the discussion on agrarian crisis. *...(Interruptions)...* I have already ruled out the point of order. *...(Interruptions)...* No discussion on that. *...(Interruptions)...* I have to take up the agrarian crisis. *...(Interruptions)...*

श्री के. सी. त्यागीः नरेश जी, 1955 में लोक सभा में एक आदमी ने प्रस्ताव रख दिया कि इसको भंग कर दिया जाए। ...**(व्यवधान)**...

SHRI P. KANNAN (Puducherry):*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Nothing goes on record. कृपया बैठिए, बैठिए ...**(व्यवधान)**... I am not allowing a discussion on that. *...(Interruptions)...*

श्री के. सी. त्यागीः सर ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Tyagiji, I will call you. *...(Interruptions)...*

श्री के. सी. त्यागीः सर, मैं एग्रीकल्चर पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापतिः कृपया आप अभी बैठिए, मैं आपको बुलाऊंगा। I will call you.

---

*Not recorded.